



Neutral Citation No.- 2026:AHC:57139

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन, संख्या - 530 वर्ष 2026

राकेश कुमार और एक अन्य

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	लवकुश कुमार भट्ट
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री लवकुश कुमार भट्ट और राज्य के विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री मयंक अवस्थी की दलीलें सुनी।
- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान आवेदन इसके प्रार्थना खंड में उल्लिखित राहत के लिए दायर किया गया है। आवेदन के प्रार्थना खंड का विवरण नीचे दिया गया है:-

“अतः, अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि यह माननीय न्यायालय कृपया दिनांक 28.12.2024 का आक्षेपित आरोपपत्र और दिनांक 24.10.2025 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद के द्वारा पारित संज्ञान/समन आदेश को अपास्त/रद्द कर दे, साथ ही मुकदमा संख्या 2944 वर्ष 2025 (राज्य बनाम राकेश कुमार और अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 0245 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 316(2), 115(2), 352, 351(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन कादरीगेट, जिला फर्रुखाबाद से संबंधित है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद के न्यायालय में लंबित है, को भी अपास्त/रद्द कर दे।”



3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने उसमें निहित आरोपों के आधार पर आवेदकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कथित रूप से ली गई राशि, जिसकी वीडियोग्राफी भी की गई है, वास्तव में किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्राप्त की गई थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जांच पूरी होने पर, जांच अधिकारी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 115(2), 352 और 351(2) के तहत आवेदकों के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया है और संबंधित न्यायालय ने आरोपपत्र में उल्लिखित धाराओं का संज्ञान लिया है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले के वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों को ठीक से समझे बिना, दिनांक 24.10.2025 के आदेश द्वारा आरोपपत्र में उल्लिखित धाराओं के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है और आवेदकों को समन किया है। यह प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित संज्ञान-सह-समन आदेश अवैध है और विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है।

5. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री मयंक अवस्थी ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों ने तथ्यों के विवादित प्रश्न उठाए हैं जिन पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि **एफआईआर घटना का संपूर्ण विवरण नहीं है** और इसमें घटना के हर पहलू का पूर्ण, कालानुक्रमिक विवरण अपेक्षित नहीं है, बल्कि एफआईआर का मुख्य उद्देश्य पुलिस को किसी *संज्ञेय अपराध* (एक गंभीर अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है) के घटित होने की सूचना देना है ताकि वे जांच शुरू कर सकें। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **वी.के. मिश्रा और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य, (2015) 9 सुप्रीम कोर्ट केसेज 588, लतेश उर्फ दादू बाबूराव कार्लेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज 66, और अमीश देवगन बनाम भारत संघ और अन्य, (2021) 1 एससीसी 1** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा जताया है।

6. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बी.एन. जॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2025] 1 एससीआर 12 : 2025 आईएनएससी 4** मामले के पैराग्राफ 25 में अपने पूर्व निर्णयों में प्रतिपादित उपरोक्त विधि के सिद्धांत को दोहराया है। **बी.एन. जॉन (उपरोक्त) मामले** का प्रासंगिक पैराग्राफ 25 संदर्भ हेतु नीचे दिया गया है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“25. एफआईआर में अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक बल प्रयोग या हमले का कोई आरोप नहीं है जिससे आईपीसी की धारा 353 का प्रावधान लागू हो सके। यह याद रखना चाहिए कि आपराधिक प्रक्रिया एफआईआर दर्ज होने के साथ ही शुरू होती है। हालांकि एफआईआर को घटना के सभी विस्तृत तथ्यों को समाहित करने वाला विश्वकोश नहीं माना जाना चाहिए और यह केवल एक दस्तावेज है जो आपराधिक कानूनी प्रक्रिया को शुरू करता है और उसे गति प्रदान करता है, फिर भी इसमें कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति का खुलासा होना चाहिए, अन्यथा इसे रद्द किया जा सकता है जैसा कि **भजन लाल (उपरोक्त)** के मामले में धारित किया गया है (निर्णय के पैरा 102 के खंड 1 में देखें)।

सीबीआई बनाम तपन कुमार सिंह (2003) 6 एससीसी 175 मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

“20. यह सर्वविदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोश नहीं है, जिसमें रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्य और विवरण प्रकट करना अनिवार्य हो। एक सूचनादाता किसी अपराध के घटित होने की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, भले ही उसे पीड़ित या हमलावर का नाम न पता हो। उसे यह भी पता नहीं हो सकता कि घटना कैसे घटी। प्रथम सूचनादाता का प्रत्यक्षदर्शी होना आवश्यक नहीं है ताकि वह घटित अपराध के सभी पहलुओं का विस्तृत विवरण दे सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि दी गई सूचना से संज्ञेय अपराध के घटित होने का पता चलना चाहिए और दर्ज की गई सूचना से पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के घटित होने का संदेह करने का आधार मिलना चाहिए। इस स्तर पर यह पर्याप्त है कि पुलिस अधिकारी दी गई सूचना के आधार पर संज्ञेय अपराध के घटित होने का संदेह करे, न कि उसे इस बात से आश्वस्त या संतुष्ट होना चाहिए कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। यदि उसे प्राप्त सूचना के आधार पर संज्ञेय अपराध घटित होने का संदेह करने का कारण है, तो वह सूचना दर्ज करने और जांच करने के लिए बाध्य है। इस स्तर पर उसके लिए सूचना की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना भी आवश्यक नहीं है.....”

(जोर दिया गया)“



7. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने आगे प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान एकत्रित सामग्री को भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023 के तहत साक्ष्य के रूप में तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक कि गवाहों की शपथ पर मुख्य-परीक्षा और प्रति- परीक्षा न हो जाए तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को भी मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों द्वारा साबित न कर दिया जाए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित संज्ञान-सह-समन आदेश में कोई अनियमितता नहीं है, जिससे धारा 507 बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही अमान्य हो जाए। धारा 507 बीएनएसएस के प्रावधान संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:

धारा 507 - अनियमितताएं जो कार्यवाही को अमान्य कर देती हैं - यदि कोई मजिस्ट्रेट, इस संबंध में कानून द्वारा सशक्त न होते हुए भी, निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है तो उसकी कार्यवाही शून्य होगी, अर्थात्:-

- (ए) संपत्ति को धारा 85 के तहत कुर्क करना और बेचना;
- (बी) डाक प्राधिकारी की हिरासत में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य वस्तुओं के लिए तलाशी वारंट जारी करता है;
- (सी) परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करता है;
- (डी) सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करता है;
- (ई) सदाचारी बने रहने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करता है;
- (एफ) परिशांति कायम रखने के बंधपत्र को रद्द करता है;
- (जी) भरण-पोषण का आदेश देता है;
- (एच) स्थानीय न्यूसेंस के संबंध में धारा 152 के तहत आदेश जारी करता है;
- (आई) धारा 162 के तहत लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या निरंतरता पर रोक लगाता है;
- (जे) अध्याय 11 के भाग-सी या भाग-डी के अंतर्गत आदेश जारी करता है;
- (के) धारा 210 की उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेता है;
- (एल) किसी अपराधी का विचारण करता है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(एम) किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करता है;

(एन) किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही के आधार

पर धारा 364 के तहत सजा सुनाता है;

(ओ) अपील पर निर्णय लेता है;

(पी) कार्यवाही को धारा 438 के तहत के तहत माँगता है; या

(क्यू) धारा 491 के तहत पारित आदेश का पुनरीक्षण करता है।

8. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान संज्ञान न्यायालय ने कानून के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम गिरीश राधाकृष्णन वर्दे (2014) 3 एससीसी 659 के मामले में पैराग्राफ संख्या 13 और 14 में दिए गए निर्णय के अनुसार संज्ञान लिया है। पैराग्राफ संख्या 13 और 14 नीचे दिए गए हैं:

“13. लेकिन यदि पुलिस द्वारा धारा 154 सीआरपीसी के तहत पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया जाता है, न कि मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 190(ए) के तहत शिकायत के माध्यम से, तो स्पष्ट रूप से दर्ज एफआईआर के संबंध में मजिस्ट्रेट जांच नहीं की जा सकती है, क्योंकि केवल पुलिस की जांच एजेंसी ही कानूनी रूप से जांच करने और उसके बाद आरोपपत्र प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है, जब तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत भी दर्ज न की गई हो, जहां शिकायत मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया लागू होगी। हालांकि, पुलिस मामले में, आरोपपत्र प्रस्तुत करने के बाद, मामला मजिस्ट्रेट के पास इस संबंध में राय बनाने के लिए जाता है कि क्या यह संज्ञान लेने और एफआईआर के माध्यम से पुलिस के समक्ष दर्ज मामले में विचारण के लिए सौंपने का उपयुक्त मामला है, और मजिस्ट्रेट जांच पूरी होने और पुलिस द्वारा आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद आरोपपत्र में कोई धारा शामिल या हटा नहीं सकता है।

14. अतः प्रश्न उठता है कि क्या शिकायतकर्ता/सूचनादाता/अभियोजन पक्ष को उपचार मांगने से वंचित किया जा सकता है यदि जांच अधिकारियों ने एफआईआर में उल्लिखित तथ्यों के बावजूद आईपीसी की उन सभी धाराओं को शामिल न करके अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती हो जिन पर अपराध बनता है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है क्योंकि अभियोजन पक्ष को उन धाराओं को नजरअंदाज करने से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जो अपराध का गठन करती हैं, यदि जांच अधिकारियों ने किसी भी कारण से एफआईआर के आधार पर की गई जांच में अपराध के सभी पहलुओं को आरोपपत्र में शामिल नहीं किया है। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है कि क्या आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामले का संज्ञान लेने के लिए आने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा



इस कमी को भरा जा सकता है? जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते समय धाराएं जोड़ या घटा नहीं सकता, क्योंकि यह केवल विचारण न्यायालय द्वारा धारा 216, 218 या धारा 228 सीआर.पी.सी. के तहत आरोप तय करते समय ही अनुमत है। इसका अर्थ यह है कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन पक्ष के लिए उचित विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप तय करने के चरण में यह तर्क देना खुला रहेगा कि दिए गए तथ्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष के अनुसार जिन धाराओं को लागू किया जाना चाहिए, उन्हें लागू करने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही, इस स्तर पर आरोपी को यह बताने की स्वतंत्रता भी है कि किसी विशेष प्रावधान के तहत आरोप तय किया जाना चाहिए या नहीं, और पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में यह उचित मंच है जो यह निर्धारित करता है कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री और एफआईआर तथा आरोपपत्र में प्रकट तथ्यों के आधार पर आरोप तय किया जा सकता है या नहीं और किसी विशेष धारा को जोड़ा या हटाया जा सकता है या नहीं।

(जोर दिया गया)''

9. विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि संज्ञान लेने वाला न्यायालय संज्ञान लेते समय आरोप पत्र में उल्लिखित किसी भी धारा को जोड़ या घटा, हटा या शामिल नहीं कर सकती, क्योंकि यह आरोप तय करते समय ही अनुमत है।

10. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि बीएनएसएस की धारा 262(2) (जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के समान है) के दृष्टिगत आरोप तय करते समय आरोपी-आवेदकों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। संदर्भ के लिए बीएनएसएस की धारा 262(2) (जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के समान है) नीचे उद्धृत की जा रही है:

“**धारा 262. जब अभियुक्त को बरी किया जाएगा।**—(1) अभियुक्त धारा 230 के तहत दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर बरी होने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और धारा 193 के तहत इसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने और अभियुक्त की ऐसी जांच (यदि कोई हो) करने के बाद, चाहे शारीरिक रूप से या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, जैसा वह आवश्यक समझे और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने



के बाद, मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है, तो वह अभियुक्त को बरी कर देगा और ऐसा करने के अपने कारण दर्ज करेगा।”

11. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम अफ़रोज़ मोहम्मद हसनफ़ता (2019) 20 सुप्रीम कोर्ट केस 539 के मामले में एक निर्णय पारित किया है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि समन जारी करते समय, समन आदेश में कारण दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, उपरोक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदीप एस. वोडेयार बनाम कर्नाटक राज्य (2021) 19 सुप्रीम कोर्ट केस 62 के मामले में पारित अपने निर्णय के अनुच्छेद 91 में पुष्टि की है। सुविधा के लिए प्रदीप एस. वोडेयार (उपरोक्त) में पारित प्रासंगिक अनुच्छेद 91 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

“91. पेप्सी फूड्स लिमिटेड (उपरोक्त) के फैसले को इस आधार पर अलग करते हुए कि यह एक परिवाद मामले में संज्ञान लेने से संबंधित था, न्यायालय ने धारित किया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने के मामले में, मजिस्ट्रेट को सामग्री का अध्ययन करने का लाभ होता है, इसलिए उसे कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है: गुजरात राज्य बनाम अफ़रोज़ मोहम्मद हसनफ़ता (2019) 20 एससीसी 539 : (2020) 3 एससीसी (क्रिमिनल) 876-2

23. पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने के संबंध में, मजिस्ट्रेट को जांच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र किए गए आरोपपत्र, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों का लाभ मिलता है। जांच अधिकारी/एसएचओ आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों और जांच नियमों के अनुपालन में की गई जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र करता है। इस प्रकार एकत्र किए गए साक्ष्यों और सामग्रियों की जांच जांच अधिकारी के स्तर पर की जाती है और उसके बाद आरोपपत्र दाखिल किया जाता है। उपयुक्त मामलों में, आरोपपत्र दाखिल करने से पहले लोक अभियोजक की राय भी प्राप्त की जाती है। इस प्रकार न्यायालय को पुलिस रिपोर्ट के साथ-साथ पुलिस द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री का भी लाभ मिलता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(ख) के तहत,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जहां मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है और मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं, मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने का निर्देश देता है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लेने के मामले में, मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करने के कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामलों में, मजिस्ट्रेट को केवल आरोपी को समन जारी करने का आदेश पारित करना होता है। आरोपी को समन जारी करने का यह आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों पर विचार करने और यह सुनिश्चित करने पर आधारित होता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले में, आरोपी को समन जारी करने के चरण में, मजिस्ट्रेट को कारण दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। यदि आरोपपत्र कानून द्वारा वर्जित है, या क्षेत्राधिकार का अभाव है, या आरोपपत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है या उसे अभिलेख में नहीं लिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को आरोपपत्र को अस्वीकृत करने और उसे अभिलेख में न लेने के कारणों को दर्ज करना आवश्यक है।

12. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह धारित किया है कि धारा 482 दंड प्रक्रिया के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को लघु परीक्षण करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अखिल शारदा और अन्य (2023) 11 सुप्रीम कोर्ट केस 626, केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह और अन्य (2023) 18 सुप्रीम कोर्ट केस 399 और नरेश अनेजा उर्फ नरेश कुमार अनेजा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम (2025) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 604 में दिए गए निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है। अखिल शारदा और अन्य (उपरोक्त) के निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 18 संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"18. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का अध्ययन

करने के बाद, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने वस्तुतः एक लघु परीक्षण किया है, जो इस स्तर पर और धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय अनुमेय नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने कई निर्णयों में धारित किया है, उच्च न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय किसी भी प्रकार का लघु परीक्षण नहीं कर सकता है, और उच्च न्यायालय विचाराधीन विशेष मामले के साक्ष्यों का मूल्यांकन नहीं कर सकता है।"

13. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को इस स्तर पर आवेदकों को कोई राहत देने के लिए आक्षेपित संज्ञान-सह-समन आदेश में कोई अवैधता या खामी नहीं मिलती है। इसके अलावा, न्यायालय धारा 528 बीएनएसएस के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवादित तथ्यों पर निर्णय नहीं दे सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में बार-बार धारित किया गया है।

14. इस स्तर पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की आयु लगभग 70 वर्ष है और वे विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होने के इच्छुक हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होने और जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कथित अपराधों के लिए सात वर्ष से कम की कारावास की सजा का प्रावधान है।

15. यदि आवेदक इस आदेश के 30 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करते हैं और विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो विचारण न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2021) 10 एससीसी 773 में निर्धारित कानून के अनुसार उस पर विचार करेगा।

16. तदनुसार, आवेदन का निपटारा किया जाता है।

17. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी-आवेदक को धारा 262(2) बीएनएसएस (सीआरपीसी की संबंधित धारा 239)के तहत आरोप तय करने के चरण में सुनवाई का अवसर मिलेगा। आवेदक आरोप तय करने के चरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी सभी शिकायतें



उठा सकता है। विचारण न्यायालय जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित सभी सामग्रियों का मूल्यांकन करेगी और आरोप तय करते समय आवेदक के मामले पर कानून के अनुसार ही विचार करेगी।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

19 मार्च, 2026

डीकेएस

Translated Version. Not For Legal Use.